



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1766) पटना, बृहस्पतिवार, 11 दिसम्बर 2025

परिवहन विभाग

अधिसूचना

9 दिसम्बर 2025

सं0सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013(छाया संचिका) 9696—जिला पदाधिकारी, शिवहर के अनुरोध के आलोक में श्री अनुराग कुमार रवि, वरीय उप समाहर्ता, को जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर का अतिरिक्त प्रभार तत्काल के प्रभाव से प्रदान किया जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री रवि को उनके जिले हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, शिवहर की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीण कुमार,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1766-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>